समाहरणालय, जहानाबाद।

(जिला परिवहन प्रशाखा)

–: आदेश :–

परिवहन विभाग, बिहार, पटना के सं0सं0–03/प्र0–बजट आवंटन (3055)–26/2018, पत्रांक–53, दिनांक–10.12.2018 द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2018–19 में परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" हेतु कुल–21800000 (दो करोड़ अठारह लाख) रू0 का स्वीकृत्यादेश प्राप्त है।

जहानाबाद के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को तत्काल उनके नाम के सामने स्तंभ 4,5 एवं 6 द्वारा कुल–16425000 (एक करोड़ चौसठ लाख पचीस हजार, **स्तंभ–7**) रू0 उपावंटित किया जाता है।

क्र0	प्रखंड का नाम	चयनित लाभुक				मुख्य शीर्ष–3055–सड़क परिवहन–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–199–अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता उप शीर्ष–0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड–47–3055001990101 विषय शीर्ष–01013301 सब्सिडी	मुख्य शीर्ष–3055–सड़क परिवहन–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उप शीर्ष–0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड–47–3055001990101 विषय शीर्ष–01013301 सब्सिडी	मुख्य शीर्ष–3055–सड़क परिवहन–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–उपशीर्ष–0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड–47–3055001990101 विषय शीर्ष–01013301 सब्सिडी	कुल आवंटित राशि
		EBC	SC	ST	Total				
01	02	03				04	05	06	07
1	जहानाबाद	07	11	01	19	525000	825000	75000	1425000
2	काको	13	29	0	42	975000	2175000	—	3150000
3	घोषी	14	14	02	30	1050000	1050000	150000	2250000
4	मोदनगंज	07	05	01	13	525000	375000	75000	975000
5	हुलासगंज	11	16	0	27	825000	1200000	—	2025000
6	रतनी फरीदपुर	20	22	1	43	1500000	1650000	75000	3225000
7	मखदूमपुर	19	25	1	45	1425000	1875000	75000	3375000
	कुल–	91	122	6	219	6825000	9150000	375000	16425000

42

1. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 410, दिनांक–10.12.2018 के आलोक में वित्तीय वर्ष–2018–19 हेतु मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना हेतु निहित अनुदेश के अनुरूप राशि की निकासी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
2. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 राज्य योजना मांग संख्या 47 से की जायेगी।
3. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–एम–4–05/98–2561 वि. (2), दिनांक–17.04.1998 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत है।
4. लाभुकों को आंटित राशि का भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या 823, दिनांक–05.09.2018 के आलोक में पूरी छान–बीन एवं आवश्यक जॉच के बाद किया जायेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी छद्मपूर्ण या अनियमित भुगतान न हो। अनुदान की राशि लाभुक के खाते में अंतरित करने के पूर्व लाभुक से चयनित वाहन का निबंधन–पुस्त, बीमा से संबंधित कागजात एवं बिक्रय पत्र प्राप्त किये जायेंगे। यदि वाहन खरीदने हेतु किसी वित्त पोषण संस्था से ऋण लिया गया हो तो इस आशय का स्वघोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि अनुदान की राशि का उपयोग वित्त पोषण करने वाली संस्था के ऋण भुगतान में किया जायेगा।
5. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर हो एवं विपत्र कोड तथा मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्ण पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण किया जा सके।
7. राशि निकासी एवं व्यय संबंधी प्रतिवेदन प्रत्येक माह 5 वीं तारीख को जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
8. आवंटित राशि का उपयोग होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाय। राशि की निकासी से संबंधित टी0वी0 नं0, तिथि एवं कोषागार के नाम सहित विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
9. किसी प्रकार की गलत/अनियमित निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।
10. प्राप्त राशि–21800000 (दो करोड़ अठारह लाख) का 25 प्रतिशत् अर्थात् 5450000(चौवन लाख पचास हजार) सुरक्षित रखना था परन्तु लाभुकों की संख्या में एक की बढ़ोतरी होने के कारण सुरक्षित राशि–5375000(तिरेपन लाख पचहत्तर हजार) रखते हुए शेष राशि–16425000 (एक करोड़ चौंसठ लाख पचीस हजार, **चयनित लाभुकों की संख्या के आधार पर**) अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अन्तर्गत पंचायतवार, प्रखण्डवार तथा कोटिवार चयनित अभ्यर्थियों की अनुमोदित सूची के आधार पर उपावंटित की जाती है।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।

ज्ञापांक:– 1542 / दिनांक– 19/12/2018

प्रतिलिपि:– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:– वरीय कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:– अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं इस आवंटन आदेश को जहानाबाद के वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:– सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

19/12/18

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।

समाहरणालय, जहानाबाद।

(जिला परिवहन प्रशाखा)

शुद्धि–पत्र

कार्यालय के ज्ञापांक–1542, दिनांक–19.12.18 के द्वारा उपावंटित स्वीकृत्यादेश में **स्तम्भ–5** के उपर लिखित **"मुख्य शीर्ष–3055–सड़क परिवहन–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उप शीर्ष–0101– मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड–47–3055001990101 विषय शीर्ष–01013301 सब्सिडी"** के स्थान पर **"मुख्य शीर्ष–3055–सड़क परिवहन–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उप शीर्ष–0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड–47–3055007890101 विषय शीर्ष–0101.33.01. सब्सिडी"** एवं **स्तंभ–6** के उपर लिखित **"मुख्य शीर्ष–3055–सड़क परिवहन–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–उपशीर्ष–0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड–47–3055001990101 विषय शीर्ष–01013301 सब्सिडी"** के स्थान पर **"मुख्य शीर्ष–3055–सड़क परिवहन–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–उपशीर्ष–0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड–47–3055007960101 विषय शीर्ष–0101.33.01. सब्सिडी"** पढ़ा जाय।

शेष यथावत रहेंगे।

ह0/–

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।

ज्ञापांकः–1548 / दिनांक–20/12/18

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वरीय कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं इस आवंटन आदेश को जहानाबाद के वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

20/12/18

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।